

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, सिमडेगा।

दाखिल खारिज वाद संख्या - 17/2007 - 2008

दिनांक 10/06/2022

पूनम बड़ाईक

बनाम

इगनासियुस टेटे

प्रस्तुत वाद दाखिल खारिज द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर किया गया है। वाद की कार्यवाही आवेदक पूनम बड़ाईक उर्फ शीला देवी पिता झगरु बड़ाईक जौजे महेश्वर दास ग्राम गरजा थाना सिमडेगा जिला सिमडेगा के द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या 376/R27 2002 - 2003 दिनांक 22.01.2003 को अंचल अधिकारी सिमडेगा द्वारा अस्वीकृत दाखिल खारिज के विरुद्ध स्वीकृति हेतु अपील दायर किया गया है। दाखिल खारिज वाद संख्या - 17/2007 - 2008 के अनुसार प्रश्नगत भूमि की विवरणी निम्नवत है:-

| मौजा | थाना/थाना नं० | खाता नं० | प्लॉट न० | रकबा |
|-----------------|---------------|----------|----------|---------|
| खिजरी पुरनापानी | सिमडेगा/105 | 06 | 481 | 4.42 ए० |

वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए दिनांक 22.03.2008 को दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया था। अंचल अधिकारी सिमडेगा से निम्न न्यायालय से न्यायालय की मांग की गई थी। अंचल अधिकारी सिमडेगा के द्वारा निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त है। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उभय पक्षों को न्यायालय में संबंधित वाद की सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए आदेशित किया जाता रहा है। दिनांक 08.10.2011 से दिनांक 07.10.2022 तक उभय पक्षों के द्वारा अधिवक्ताओं के माध्यम से हाजरी पड़ी और ना ही उभय पक्षों व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में सशरीर उपस्थित हो सके। ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को दाखिल खारिज वाद संख्या 376/R27 2002 - 2003 वाद की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अभिरुचि नहीं है इनकी मनसा शायद न्यायालय के समय का बर्बाद करने का है। ऐसे स्थिति में वाद संख्या 376/R27 2002 - 2003 को संचिकास्त किया जा सकता है। फिर भी यदि आवेदक की इच्छा हो तो संबंधित वाद को न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु आवेदन पत्र समर्पित करते हुए अनुरोध कर सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,

सिमडेगा।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,

सिमडेगा।